सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 135 **1 Falgun, 1939 (S)**

Ranchi, Tuesday, 20th February, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

20th February, 2018

Notification No. -- 9/2018 – State Tax

S.O. No- 15 Dated - 20th February, 2018 -- In exercise of the powers conferred by section 146 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and in supersession of the notification of the Government of Jharkhand in the Department of Commercial Taxes No. S.O 27 - State Tax dated 20th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the State Government hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and www.ewaybillgst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for furnishing electronic way bill.

Explanation.-

(1) For the purposes of this notification, "www.gst.gov.in" means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and

(2) For the purposes of this notification, "www.ewaybillgst.gov.in" means the website managed by the National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 16th day of January, 2018.

[File.NoVaKar / GST / 03/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

Note:- The principal notification No. S.O 27-State Tax, dated the 20th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 फरवरी, 2018

अधिसूचना सं० 9/2018- राज्य कर

एस. ओ. - 15 दिनांक- 20 फरवरी, 2018-- झारखण्ड सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और झारखण्ड के राजपत्र, द्वारा प्रकाशित झारखण्ड सरकार_वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं. **एस. ओ.** 27 राज्य कर तारीख 20 जून, 2017 उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए रजिस्ट्रीकरण, कर संदाय विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल और इलेक्ट्रोनिक वे बिल प्रस्तुत करने के लिए www.ewaybillgst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है ।

स्पष्टीकरण-.

(1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.gst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिस का प्रबंध कंपनी अधिनियम ,2013)2013 का 18) की धारा के उपबंधों के अधीन निगमित कंपनी माल और सेवा कर 8 नेटवर्क द्वारा किया गया है;

(2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.ewaybillgst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिसका प्रबंध भारत सरकार इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या गया है राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा कि ,; और

(3) यह अधिसचूना 16 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/03/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।

टिप्पण मूल अधिसूचना झारखण्ड -के राजपत्र द्वारा संख्या एस. ओ. 27 -राज्य कर तारीख ,20 जून 2017 को प्रकाशित की गई थी ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 135-- 50.